

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2024/६७८,

आदेश

दिनांक:- २६/०२/२४

उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जयपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में उपलब्ध द्वारका अपार्टमेंट, ब्लॉक-एफ के ०८ फ्लैटों को ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
१.	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर	MIG-B Dwarka Apartment Block-F	DWA/F-304, DWA/F-502, DWA/F-503, DWA/F-601, DWA/F-602, DWA/F-704, DWA/F-804, DWA/F-904	०८
			Total	०८

उपरोक्त वर्णित ०८ फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ११८२ दिनांक २३.०३.२०१७ में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीलामी से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं हैं।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुभति प्राप्त करने राबड़ी इकाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक शजस्व/११/२०१४-१५/३७ दिनांक १७.०६.२०१४ द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक विवाद विवारधीन नहीं हैं। “निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अर्थीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

१०
(आर. एस. चांदावत)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक—सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. अवासीय अभियंता, खण्ड-षट्म/नवम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पक्षावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक